न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 179/2019/अजमेर (2019/00179)

सुरजीत कुमार वैष्णव पुत्र कन्हैयालाल वैष्णव, निवासी चारभुजा मंदिर, बड़ी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला अजमेर, आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/ 2019/10987 दिंनाक 25.07.2019

————

उपस्थितः 1— श्री राकेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 19/03/2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी बड़ी बस्ती पुष्कर में निवास करता है तथा अपीलार्थी ने आत्म सुरक्षा हेतु रिवाल्वर/पिस्टल हेतु जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष एन.पी. बोर का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट व गृह मंत्रालय नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 31—3—2010 के अनुसार अपीलार्थी को किसी प्रकार से जान—माल का

खतरा नहीं होने तथा न ही किसी के द्वारा कोई धमकी इत्यादि प्राप्त होने एवं न ही इस संबंध में कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाने के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी का आवेदन पत्र अपने पत्र दिनांक 25–7–2019 से अस्वीकार कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी बड़ी बस्ती पुष्कर में निवास करता है तथा प्रार्थी ने आत्म सुरक्षा हेतु रिवाल्वर/पिस्टल हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र की जांच तहसीलदार पुष्कर से कराई गई जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13–7–2011 को आर्थिक स्थिति व हैसियत अच्छी होने व आचरण ठीक होने से स्वयं की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित है, बाबत रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इसी प्रकार उप वन संरक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18–11–2011 को प्रेषित की गई जिसमें अपीलार्थी का वन्य जीवों के प्रति सहिष्णु होने एवं दस वर्षों से किसी प्रकार का वन्य अपराध दर्ज नहीं होना तथा ऐसे प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सजा नही होने बाबत उल्लेख है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 7–10–2011 को अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं होने तथा प्रार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामलें में दोष सिद्ध नहीं होने तथा अपीलार्थी के विरूद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं होना तथा प्रार्थी का होटल, व्यवसाय, टेक्सी का व्यवसाय व स्कूल संचालन करना वर्णित करते हुए अपीलार्थी सामाजिक संस्था 5 एकेडमी सोसायटी का अध्यक्ष्द्वा होने से व्यावसायिक लोगों व बदमाश लोगों से जानमाल का खतरा बना रहता है, वर्णित करते हुए अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित है। जिला अधीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन अजमेर द्वारा दिनांक 30–4–2011 को एनचपी. 12 बोर रिवाल्वर/पिस्टल का रख रखाव चलाने का अनुभव होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने दिनांक 27–12–2016 को पुनः जिला पुलिस अधीक्षम अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की जिन्होंने शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार प्रार्थी को किसी प्रकार की जान का खतरा हो, प्रार्थी को धमकी दी हो, उसके विरूद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई हो उक्त बाबत परीक्षण कर रिपोर्ट अंकित करने हेतु लिखा गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार से जानमाल का खतरा नहीं

होने, प्रार्थी द्वारा होटल संचालन व अन्य व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नही की जाती है, की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 17 (1) के आदेशात्मक विधिक प्रावधानें के विपरीत जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 25–7–2019 पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 13–7–2011, उप वन संरक्षक अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 21–11–2011 एवं जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 7–10–2011 में प्रार्थी के आचरण को ठीक होना बताया तथा प्रार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं होने तथा प्रार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामलें में दोष सिद्ध नहीं होने एवं अपीलार्थी के विरूद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं होना वर्णित करते हुए अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित है, वर्णित करते हुए रिपोर्ट प्रेषित की है। साथ ही प्रार्थी बैंक ऑफ गनाहेडा का केश लाने व ले जाने का अनुबंध भी है जिससे प्रार्थी को जानमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार के नवीन आर्म्स अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 25–7–2019 निरस्त किया जाकर नवीन आर्म्स शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करनेहेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के होटल संचालन व अन्य व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा रिपोर्ट में अपीलार्थी को किसी से भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होने का अंकन किया है। उक्त कारणो से जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे

समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी बड़ी बस्ती पुष्कर में निवास करता है तथा प्रार्थी ने आत्म सुरक्षा हेतु रिवाल्वर/पिस्टल हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत् जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष एन.पी. बोर का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मार्च 2011 से लम्बित है। अपीलार्थी से संबंधित समस्त रिपोर्ट 11/2011 तक जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी जिनमें नवीन शस्त्र दिये जाने बाबत एन.ओ.सी. जारी की गई। जारी एन.ओ.सी निम्न प्रकार हैः–

1. तहसीलदार, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 4486 दिनांक 13–7–2011 में स्पष्ट लिखा है कि प्रार्थी होटल व्यवसायी है, शोहरत चाल–चलन अच्छा है तथा थाना रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।
2. थानाधिकारी पुष्कर ने उनके पत्र क्रमांक 2641 दिनांक 6–7–2011 द्वारा आचरण अच्छा होना, शस्त्र के वर्णित उद्देश्य उचित होना तथा अनुज्ञा पत्र दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।
3. पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 722–30 दिनांक 25–8–2011 द्वारा भी आवेदक के विरूद्ध कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं पाया जाना अंकित किया है।
4. पुलिस अधीक्षक अजमेर ने उनके पत्र क्रमांक 770 दिनांक 7–10–2011 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी होटल, टेक्सी व्यवसायी है एवं स्कूल संचालित करता है तथा सामाजिक संस्था का भी अध्यक्ष है जिससे उसे व्यवसायिक लोगों एवं बदमाशों से जानमाल का खतरा बना रहता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध नोटशीट स्पष्ट करती है कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के विपरीत विधि सहायक द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी के जीवन को गंभीर एवं आसन्न संकट प्रकट नहीं होता है जबकि पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट के प्रथम भाग में जो तथ्य अंकित किये उसमें उक्त कथन अंकित है। साथ ही यह भी अंकित है कि प्रार्थी को किसी ने धमकी नहीं दी है तथा न ही किसी के विरूद्ध कोई रिपोर्ट लिखवाई है। परन्तु पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में विश्लेषण करते हुए प्रार्थी की जानमाल को खतरा होना स्पष्ट अंकित किया है। विधि सहायक द्वारा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के केवल एक भाग को आधार बनाकर टिप्पणी अंकित की गई है तथा आगे यह भी अंकितकिया है कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक निर्णय लिया जाना उचित होगा। तदोपरान्त पत्रावली पर प्रभारी अधिकारी (न्याय) ने ''स्पीक'' लिखा अंकित किया है। कौन स्पीक करेगा यह अंकित नहीं है न ही क्या चर्चा हुई यह अंकित है? प्रभारी अधिकारी (न्याय) की टिप्पणी 24–1–2012 के बाद

27—12—2016 को अचानक पत्रावली पुनः प्रेषित की जाकर पुनः नये सिरे से नवीन जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रभारी अधिकारी (न्याय) ने प्रकरण को निर्णय हेतु जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत ही नही किया तथा न ही कोई अंतिम निर्णय हुआ। प्रभारी अधिकारी (न्याय) की यह गंभीर लापरवाही है तथा 2012 से 2016 तक बिना जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत किये अनिर्णित रखना नितान्त अनुचित है तथा अपीलार्थी को जानबूझकर प्रताड़ित करना प्रतीत होता है। शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेट को ही है।

पुनः 4—5 वर्ष बाद नये सिरे से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें मात्र पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के पत्र दिनांक 27—12—2016 के उपरान्त 18—7—2019 को लगभग ढाई वर्ष बाद प्राप्त हुई जो पुलिस अधीक्षक द्वारा न भेजकर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भेजी गई है अन्य विभागों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में अपीलार्थी को किसी से जानमाल का खतरा नहीं होना अंकित किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी ने होटल व्यवसाय व अन्य व्यवसाय से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये तथा इस दूसरी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त कर दिया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब पूर्व रिपोर्ट में तहसीलदार पुष्कर ने प्रार्थी को होटल व्यवसायी माना है तथा पुलिस अधीक्षक ने होटल व्यवसाय व अन्य व्यवसाय करना अंकित किया है तो फिर बिना कोई आधार उसे व्यवसायी नहीं माना जाकर मात्र एन.ओसी नहीं दिये जाने के उद्देश्य से रिपोर्ट प्रेषित की है। उचित यह होता कि तहसीलदार व अन्य की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तथा स्पष्ट किया जाता कि अपीलार्थी का व्यवसाय क्या है तथा उसकी जानमाल का खतरा है या नहीं?

प्रकरण 2011 से 2019 तक लम्बित रखना अनुचित है तथा समय पर निर्णय नहीं कर अपीलार्थी को परेशान करना ही स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। पूर्व की सभी रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट को पत्रावली ही प्रेषित नहीं की गई तथा लम्बित रखी गई। पत्रावली पुनः नये सिरे से Reopen की गई जिसमें भी ढाई वर्ष बाद मात्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा अन्य रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई एवं अधूरे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 25—7—2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर) का आदेश

क्रमांक/न्याय/शस्त्र/2019/10987/दिनांक 25–7–2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर एव ंजिला मजिस्ट्रेट अजमेर को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत् नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर